संख्या-84/2021/1044/22-2-2020-17(427)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2021***

विषय:-जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सोमवती पत्नी श्री श्रीकृष्ण, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सोमवती पत्नी श्री श्रीकृष्ण, जो ग्राम-तुर्राह, थाना-बिलसण्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। महिला बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 27.11.2009 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग से जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 498ए के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 18.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.04.2015 द्वारा यथावत रखा गया बन्दी द्वारा दिनांक 23.09.2020 तक 10 वर्ष 09 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने महिला बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये किये जाने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान होने तथा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने महिला बन्दी सोमवती पत्नी श्री श्रीकृष्ण के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी सोमवती (बन्दी संख्या-296/2011) पत्नी श्री श्रीकृष्ण, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2021/1044(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in